न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय कोटपूतली जिला–जयपुर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र संख्या – 04/2015

1– नाथी देवी पत्नि स्व0 गणेश
2– सुरजा
3– बोबड़ पुत्रांन स्व0 गणेश
समस्त जातियान जाट, निवासी ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान

—— प्रार्थीगण

बनाम

1– सुभाष पुत्र भागीरथ पुत्र गणेश, जाति जाट, निवासी भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
2– सरोज देवी पत्नि प्रहलादसहाय, जाति शर्मा, निवासी प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
3– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
4– श्रीमान नायब तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 5–10–17

वकूलाय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण नाथी वगैरह ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 237/1.69, 554/0.35, 556/0.36, 1012/0.58, 1044/0.34, 1061/0.33, 1074/1.39 कुल किता 7 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर वाके मौजा भांकरी, तहसील कोटपूतली,

दावानुसार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 एक ही पिता की पत्नि एंव संतान है । आराजी खसरा नम्बर 237/1.69 वाके मौजा भांकरी, तहसील कोटपूतली में से अपना हिस्सा दावानुसार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ने अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दिया है । इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 237/1.69, 554/0.35, 556/0.36, 1012/0.58, 1044/0.34, 1061/0.33, 1074/1.39 कुल किता 7 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर वाके मौजा भांकरी, तहसील कोटपूतली में प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा है तथा भूमि पर कब्जा–काश्त है । इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से की भूमि में काश्त करके प्रार्थीगण अपने एंव अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भागीरथ ने बंदोबस्त कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके उक्त सम्पूर्ण आराजी भूमि में अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में करा लिया जो बाद में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया जो कतई गलत है । अप्रार्थी संख्या 1 ने बदोंबस्त विभाग के कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके उक्त सम्पूर्ण आराजी भूमि में अपने नाम 1/2 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में करा लिया है। ऐसा करने का बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों को कोई हक व अधिकार नही था जो खिलाफ कानून होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों के खिलाफ शून्य एंव बेअसर है। प्रार्थीगण ने अब हल्का पटवारी से जानकारी की व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/5 की बजाय हिस्सा 1/2 दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा कि आराजी के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर हिस्सा 1/2 के बजाय अपना हिस्सा 1/5 दर्ज करवा लेवे तथा रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 साफ इन्कार हो गये तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 गत सप्ताह से धमकी दे रहे है कि हम आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करेगें, तुमको शांतिपूर्वक काबिज–काष्त नही करने देगे, तुमको आराजी से बेदखल करेगे, जबकि अप्रार्थीगण 1 व 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया और वो अपने नापाक मनसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जर्रे नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा । प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात

1012/0.58, 1044/0.34, 1061/0.33, 1074/1.39 कुल किता 7 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर वाके मौजा भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान में अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थीगण व दावानुसार तरतीबी प्रतिवादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें । प्रार्थीगण व दावानुसार तरतीबी प्रतिवादी को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवें, प्रार्थीगण व दावानुसार तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल ना करें, ना ही ऐसी कोई धमकी देवें । आराजी को किन्ही दीगर लोगों रहन बैय बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करें । अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना करें । अप्रार्थी संख्या 4 को पाबन्द किया जावे कि यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त आराजी से सम्बन्धी कोई विक्रय–पत्र या अन्य अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज पेश करें तो उसे तस्दीक ना करें । ना ऐसा अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना अपनें किसी नौकर–चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें । तादौराने मूलवाद पाबन्द रहें ।

जिस पर तामील होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि मिन अप्रार्थी का उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 है एंव 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एंव तरतीबी प्रतिवादी का है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । किशना पुत्र जम्मन जो लाऔलाद फौत हो गया था जिसने अपने जीवनकाल में ही मिन अप्रार्थी सुभाष के पिता भागीरथ को नाबालिग अवस्था में गोद ले लिया था तथा किशना की मृत्यु के बाद मिन अप्रार्थी का पिता भागीरथ आराजी के हिस्सा 1/2 पर खातेदार काश्तकार काबिज हो गया था तथा भागीरथ की मृत्यु के बाद मिन अप्रार्थी उक्त आरांजी के हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है । प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एंव उनके पिता गणेश को मिन अप्रार्थी के पिता भागीरथ के किशना के गोद जाने बाबत शुरू से ही जानकारी थी तथा उन्होने गोद के समय कोई आपत्ति भी नही की थी अर्थात प्रार्थीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता गणेश ने ही जब कोई आपत्ति नही की तो प्रार्थीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पिता के कथनों से एस्टोप्ड है । प्रार्थीगण का मिन अप्रार्थी के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लक वास्ता

बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना—पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 237/1.69, 554/0.35, 556/0.36, 1012/0.58, 1044/0.34, 1061/0.33, 1074/1.39 कुल किता 7 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर वाके मौजा भांकरी, तहसील कोटपूतली में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/5—1/5 हिस्सा है तथा भूमि पर कब्जा—काश्त है । इसी प्रकार अपने—अपने हिस्से की भूमि में काश्त करके प्रार्थीगण अपने एंव अपने परिवार का पालन—पोषण करते चले आ रहे है । जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि मिन अप्रार्थी के पिता को गोद लेने वाला किशना अलग व्यक्ति था जिसके पिता का नाम किशना पुत्र जम्मन था जिसके समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2027 प्रस्तुत की जिसमें खाता संख्या 82 में किशना पुत्र जमना दर्ज है तथा खाता संख्या 83 में गणेश वल्द छोटू हिस्सा 1/2 तथा मनबा बेवा किशना हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसमें दर्ज साबिक खसरा नम्बरान के ही प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल खसरा नम्बर बने है अर्थात किशना पुत्र जमना और गणेश पुत्र छोटू अलग—अलग व्यक्ति है जो 1/2—1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज है तथा किशना पुत्र जमना ने ही अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भागीरथ को गोद लिया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त चला आ रहा है । साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय के विचारण के दौरान एक प्रार्थना—पत्र धारा 151 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह प्रार्थना—पत्र में वर्णित अपनी आराजी के हिस्से पर कृषि विकास हेतु किसान केडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त करना चाहता है जिसकी अनुमति प्रदान की जावे ।

हमने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एंव बहस पर मनन किया प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्य वाद में साक्ष्य होने के उपरान्त ही साबित हो पायेगे अतः इस स्तर पर पहुंचे कि उभय पक्षकारान को उक्त भूमि के बेचान एंव मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 सुभाष पुत्र भागीरथ को अपने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से पर किसान केडिट कार्ड बनाने एंव ऋण प्राप्त करने की अनुमति दिया जाना

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान उक्त भूमि का तादौराने फैसला मूल दावा किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें एंव अप्रार्थी संख्या 1 सुभाष पुत्र भागीरथ जमाबन्दी में दर्ज अपने हिस्सा 1/2 पर किसान केडिट कार्ड बनवाने एंव उस पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित समझते है ।

निर्णय आज दिनांक 5–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर कोटपूतली